



मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

दूसरी मंज़िल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन

भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली - 110001

Directorate General of Anti-Profitteering

(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

Department of Revenue, Ministry of Finance

Second Floor, Bhai Vir Singh Sahitya Sadan

Bhai Vir Singh Marg, Gole Market, New Delhi-110001



☎ 011-23741544-45

✉ dgap.cbic@gov.in

☎ 011-23741542

फ.स. - 19011/03/2016/1803+2091

दिनांक .30.07.2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क (सभी) ,
मुख्य आयुक्त, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क (सभी) ,
महानिदेशक, सीमा शुल्क, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ,

महोदय / महोदया,

विषय: मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर एक अधीक्षक के चयन हेतु पैनल का गठन ।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय, नई दिल्ली में 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 और 9 में एक अधीक्षक के पद के लिए उपयुक्त और योग्य अधिकारियों के चुनाव हेतु एक पैनल बनाना प्रस्तावित है। इस कार्य में जीएसटी के मुनाफाखोरी के मामलों की जांच शामिल है और कंप्यूटर और एमएस एक्सेल का अच्छा ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. चयनित व्यक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य परिस्थितियों में प्रभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, और संतोषजनक कार्य-निष्पादन को देखते हुए अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी, इस कार्यालय में निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान यथा प्रयोज्य प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार होंगे। ऐसे अधिकारियों के पदोन्नति संबंधी कार्यों के लिए संवर्ग नियंत्रक उनका मूल संवर्ग नियंत्रक आयुक्तालय होगा जहां से मूलतः वह आए हैं। मुनाफाखोरी महानिदेशालय, बिना कारण बताए किसी भी समय अधिकारियों को वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. अनुरोध किया जाता है कि यह पत्र व्यापक रूप से परिचालित किया जाए और आपके क्षेत्राधिकार के तहत इच्छुक निरीक्षकों के आवेदन इस महानिदेशालय को अग्रेषित किया जाए। आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप "क" के अनुसार पिछले पांच वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की ग्रेडिंग, सतर्कता मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित की जानी चाहिए जिससे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की स्थिति में अधिकारी को कार्यमुक्त किया जा सके। चयन योग्य उम्मीदवारों के बीच किया जाएगा।

4. यह परिपत्र उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता के अधीन, एक माह के लिए वैध है। इस संबंध में महानिदेशालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार विचारणीय नहीं होगा।

5. यह महानिदेशक मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय), नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोपरि

भवदीया,
गतिशील
30/07/2020
(गायत्री)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि: मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय की वेबसाइट, सीबीआईसी की वेबसाइट

मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

8. नाम:
9. पदनाम:
10. जन्म की तारीख:
11. मूल आयुक्तालय का नाम :
12. वर्तमान तैनाती का स्थान:
13. शैक्षिक योग्यता:
14. तैनाती का इतिहास:
क. (कृपया कागज की एक अलग शीट संलग्न करें यदि दी गई जगह पर्याप्त नहीं है।)

क्र.सं	9. आयुक्तालय / निदेशालय	10. स्टेशन	11. अनुभाग / प्रभाग	अवधि	यदि कोई टिप्पणी हो
	12.	13.	14.		

8. पद के लिए उपयुक्तता का स्व मूल्यांकन:

अधिकारी का हस्ताक्षर

संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका से सत्यापित

सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर